



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-12.02.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-113/2005 धारा 8/21 NDPS Act से सम्बन्धित अभियुक्त संजय तिवारी पुत्र स्व0 देवी निवासी-सा 21/18, चन्द्रा चौराहा थाना-सारनाथ, जनपद-वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0 एम0-II, जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 8/21 NDPS Act में जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रू0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी